| Date: 21.09.2023 | Publication: Navbharat Times |
|---|---|
| Headline: - Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीआपने भी ली होगी, जानते हैं क्या होता है इसमें डिडक्टिबल? | |

# Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीआपने भी ली होगी, जानते हैं क्या होता है इसमें डिडक्टिबल?

किसी भी मेडिकल इमर्जेंसी जैसी स्थितियों से खुद को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना यकीनन सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। लगातार बढ़ रहे मेडिकल

खर्चों और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने के कारण एक अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज खरीदने से पहले यह महत्वपूर्ण यह होता है कि बाद में किसी भी भ्रम या पचड़े में पड़ने से बचने के लिए पॉलिसी के नियमों और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें।

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन टीम के चीफ भास्कर नेरुरकर बताते हैं कि पॉलिसी दस्तावेज़ में पॉलिसी क्लॉज़ का उल्लेख और व्याख्या की जाती है। इनमें से कुछ शर्तों को समझना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। एक ऐसा ही शब्द जिसे अक्सर थोड़ा और समझने की आवश्यकता होती है वह है कटौती अर्थात डिडक्टिबल। हम यहां बता रहे हैं डिडक्टिबल की अवधारणा के बारे में। साथ ही बता रहे हैं कि यह क्लेम को कैसे प्रभावित करता है।

## डिडक्टिबल क्या है?

डिडक्टिबल क्लेम का वह हिस्सा है जिसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपके नुकसान की भरपाई करने से पहले आपको वहन करना पड़ता है। आपको एक निश्चित पूर्व-निर्धारित राशि तक लागत वहन करनी होगी और इंश्योरेंस कंपनी कुल उपचार लागत पर डिडक्टिबल सीमा पार होने के बाद ही क्लेम का भुगतान करेगी। मान लीजिए कि आपकी पॉलिसी में डिडक्टिबल राशि 3,000 रुपये है और आपकी स्वीकार्य दावा (admissible claim) की राशि 20,000 रुपये है, तो इसका मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको नुकसान के लिए 17,000 रुपये का भुगतान करेगी और आपको 3,000 रुपये वहन करना होगा। इसका मतलब यह है कि डिडक्टिबल राशि तक का कोई भी दावा कंपनी द्वारा देय नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 3000 से कम के किसी भी क्लेम का भुगतान इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा। पॉलिसी में, डिडक्टिबल राशि का उल्लेख एक निश्चित राशि के रूप में या इंश्योरेंस राशि के प्रतिशत के रूप में किया जा सकता है।

## दो तरह के डिडक्टिबल

हेल्थ इंश्योरेंस में दो प्रकार की डिडक्टिबल, अनिवार्य (compulsory) और स्वैच्छिक (voluntary) होती है।

1) अनिवार्य डिडक्टिबल:

जैसा कि नाम से पता चलता है यह डिडक्टिबल अनिवार्य है। यह एक निश्चित राशि होती है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी में लगाती है। इंश्योरेंसधारक क्लेम का प्रारंभिक भाग, यानी अनिवार्य कटौती का वहन करेगा, जबकि इंश्योरेंसकर्ता शेष हिस्से का भुगतान करेगा। अनिवार्य कटौती का प्रीमियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

2) स्वैच्छिक डिडक्टिबल:

स्वैच्छिक कटौती इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नहीं लगाई जाती है। इसके बजाय, यह इंश्योरेंस धारक को ही अपनी इच्छा से स्वैच्छिक डिडक्टिबल सीमा का विकल्प चुनना पड़ता है। पॉलिसीधारक क्लेम के एक निश्चित हिस्से का भुगतान करने का चुनाव करता है। इसकी राशि प्रत्येक इंश्योरेंस कराने वाले के अनुसार अलग-अलग होती है।

स्वैच्छिक डिडक्टिबल कैसे चुनें?

स्वैच्छिक कटौती इंश्योरेंस प्रीमियम के उलटे अनुपात (inversely proportional) में होता है। डिडक्टिबल राशि जितनी अधिक होगी, प्रीमियम उतना ही कम होगा। यद्यपि यह प्रीमियम को कम करने में मदद करता है, पर इस तथ्य को ऐसे समझना चाहिए कि यह बाद में क्लेम के एक हिस्से को वहन करने की लागत पर आता है और इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। केवल और केवल यदि आप क्लेम के दौरान अपनी जेब से अधिक राशि वहन करने की इच्छा रखते हैं, तो ही आपको स्वैच्छिक कटौती का विकल्प चुनना चाहिए।

टॉप-अप प्लान में डिडक्टिबल

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कटौती के अलावा, टॉप-अप प्लान में भी डिडक्टिबल होती है, जो थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। टॉप-अप योजना में, डिडक्टिबल सीमा वह सीमा होती है जिस तक बेस पॉलिसी या इंश्योरेंस कराने वाला क्लेम की लागत वहन करता है। टॉप-अप प्लान आपको मामूली प्रीमियम पर अपनी बेस इंश्योरेंस प्लान को बढ़ाने में मदद करती हैं। टॉप-अप पॉलिसियाँ दो प्रकार की होती हैं एक नियमित टॉप-अप और एक सुपर टॉप-अप। एक नियमित टॉप-अप में एकल घटना (single-incidence) डिडक्टिबल होती है और एक सुपर टॉप-अप में कुल (aggregate) डिडक्टिबल होती है। इसलिए, नियमित टॉप-अप प्लान में प्रत्येक क्लेम पर डिडक्टिबल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि सुपर टॉप-अप में पॉलिसी वर्ष के दौरान क्युमुलेटिव क्लेम अमाउंट को ध्यान में रखा जाएगा।

डिडक्टिबल को ऐसे समझें

अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें कि बेस पॉलिसी की इंश्योरेंस राशि 3 लाख रुपये है और टॉप-अप तथा सुपर टॉप-अप में 3 लाख रुपये की डिडक्टिबल है। अब 2-2 लाख रुपये के दो क्लेम हैं। टॉप-अप के मामले में, बेस पॉलिसी पहले क्लेम के लिए 2 लाख रुपये और दूसरे क्लेम के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान करेगी (जिसके बाद इंश्योरेंस राशि की सीमा समाप्त हो जाएगी)। यहां टॉप-अप प्लान प्रभावी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक क्लेम की व्यक्तिगत राशि 3 लाख रुपये की डिडक्टिबल सीमा के भीतर थी। सुपर टॉप-अप के मामले में भी यही उदाहरण लागू करते हुए, बेस पॉलिसी पहले क्लेम के लिए 2 लाख रुपये और दूसरे क्लेम के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान करेगी। शेष 1 लाख रुपये का भुगतान सुपर टॉप-अप द्वारा किया जाएगा क्योंकि क्लेम की कुल राशि 3 लाख रुपये की सीमा पार कर गई है।

बेहतर कवरेज पाने में करता है मदद

डिडक्टिबल का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह इंश्योरेंस कराने वाले को छोटी राशि के क्लेम करने से हतोत्साहित करता है और इस प्रकार उन्हें संचयी बोनस (Cumulative Bonus) या सीबी अर्जित करने में मदद करता है, जो प्रत्येक दावा-मुक्त वर्ष (Claim Free Year) के लिए दिया जाता है। अधिकांश इंश्योरेंस कर्ता बिना कोई अतिरिक्त प्रीमियम वसूले आपकी इंश्योरेंस राशि को एक निश्चित प्रतिशत बढ़ाकर सीबी प्रदान करते हैं। एक तरह से यह बेहतर कवरेज पाने में मदद करता है।